प्रेस नोट दिनांक-30.07.2025

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

- **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

- **मा0 न्यायालय न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-1) द्वारा दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।**

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 13.05.2018 को धारा-302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.प्रवीण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र मिश्रा निवासी चकिया बिहारी मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 108/2018 धारा-302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-30.07.2025 को मा0 न्यायालय न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-1) द्वारा अभियुक्त 1.प्रवीण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र मिश्रा निवासी चकिया बिहारी मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना व जिला चन्दौली

🔰 **थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 लाइसेंसी पिस्टल व 02 कारतूस किया गया बरामद।**

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के नेतृत्व मे उ0नि0 तरुण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-186/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109/103(1)/3(5) बीएनएस-2023 थाना व जिला चन्दौली से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. मुकेश कुमार यादव उर्फ मिन्टू पुत्र नार्देश्वर यादव निवासी फतेपुर कला थाना व जिला चन्दौली को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 पिस्टल व 02 कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता–

मुकेश कुमार यादव उर्फ मिन्टू पुत्र नार्देश्वर यादव निवासी फतेपुर कला थाना व जिला चन्दौली उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

1- एक लाइसेन्सी पिस्टल 0.32’’ बोर व

2- 2 जिन्दा कारतूस 0.32’’बोर

अपराध विवरण-

मु0अ0सं0-186/25 धारा 190/191(2)/191(3)/109/103(1)/3(5) बीएनएस-2023 थाना व जिला चन्दौली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्र0नि0 संजय कुमार सिह थाना व जिला चन्दौली

2.उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य थाना व जिला चन्दौली

3 उ0नि0 तरुण कुमार पाण्डेय थाना व जिला चन्दौली

4 का0 उमंग राय थाना व जिला चन्दौली

5 का0 संजय कुमार पटेल थाना व जिला चन्दौली।